राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 902/2023

ब्रिजेंद्र कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त स्वशासन, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 08.02.2023
सुनवाई की दिनांक : 24.09.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री वाई.एस जदौन, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.11.2022 के आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने कुछ उम्मीदवारों को वर्ष 2020–21 और 2021–22 में उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध अधिशाषी अभियंता– सिविल के पद पर पदोन्नत किया है और अधिकरण द्वारा पारित निर्देश के बाद भी अधिशाषी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं किया है, जिसमें अधिकरण ने प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के परिवाद और इसी तरह के अन्य मामलों में संयुक्त आदेश दिनांक 11.10.2022 पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। (अनुलग्नक–1 व 2) अपीलार्थी को वर्ष 1992 में अस्थायी आधार पर कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को बाद में सेवा से हटा दिया गया था, ताकि नगर पालिका, करौली में उपलब्ध कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के रिक्त पद के विरुद्ध एक अन्य उम्मीदवार को नियुक्त किया जा सके, जिसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी और वह इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से था। समान स्थिति वाले व्यक्ति ने नगर पालिका, करौली के इस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 3840/1991 दायर करके चुनौती दी है, जिसका शीर्षक श्री रमेश चंद बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है। उपर्युक्त रिट याचिका में अपीलार्थी ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत एक आवश्यक और प्रभावित पक्ष होने के नाते एक उपयुक्त आवेदन दायर किया। जिस पर माननीय न्यायालय ने उसे

पक्षकार बनाया। उपरोक्त रिट याचिका पर 04.10.1993 के आदेश दिनांक 04.10.1993 द्वारा निर्णय दिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी नगर पालिका, करौली को रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करने और निदेशक, स्थानीय एवं स्वायत्त शासन से निर्देश प्राप्त करने के बाद राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 के अनुसार सभी पात्र उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3840/1991 श्री रमेश चंद बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, के दिनांक 04.10.1993 को पारित आदेश के अनुपालन में करौली नगर परिषद ने दिनांक 13.12.1993 को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी विधिक प्रक्रिया के पश्चात चयनित हुआ और दिनांक 17.02.1994 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी 1992 से कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत था और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में विज्ञापन के पश्चात अपीलार्थी दिनांक 17.02.1994 को अपनी सेवाएं ग्रहण की। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.08.1994 द्वारा नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, करौली द्वारा दिनांक 27.09.2011 को निदेशक, स्थानीय एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को भेजे गए पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को नियमित वेतनमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के अनुसरण में नियमित विज्ञापन के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। इसलिए अपीलार्थी और समान स्थिति वाले व्यक्तियों की सेवाएं नियमित नहीं की गई। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9146/2002 दायर की, जिसका शीर्षक बृजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है, जिसमें 13.12.2002 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश दिया गया और फिर 06.09.2006 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया गया। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी विभाग ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9146/2002 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2006 को पारित आदेश को विशेष अपील रिट याचिका संख्या 183/2008 दायर करके चुनौती दी थी, जिसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ की खंडपीठ द्वारा दिनांक 08.07.2011 के आदेश द्वारा राजस्थान राज्य बनाम शिव नारायण पाल [अपील की विशेष अनुमति (सिविल) (सीसी 8865ध्2007)] के मामले में पारित निर्णय के आलोक में किया गया। (अनुलग्नक–5) इस बीच अपीलार्थी की सेवाएं नगर परिषद, करौली के कार्यालय से दिनांक 02.07.2008 को स्थानांतरित कर दी गई थीं। निदेशक, स्थानीय एवं

स्वायत्त शासन ने नगर परिषद करौली को दिनांक 27.09.2011 को एक पत्र लिखकर अपीलार्थी के मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद, करौली ने निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को लिखे पत्र का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नियुक्ति दिनांक 17.02.1994 को रिक्त स्वीकृत पद पर हुई थी और वे दिनांक 01.06.1994 से विभाग में ही नियमित वेतनमान पर कार्यरत हैं। (अनुलग्नक–6) एक बार जब एसएडब्ल्यू 183/2008 को राजस्थान राज्य बनाम शिव नारायण पाल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2011 के आदेश के तहत पारित निर्देश के आलोक में निपटाया गया था, तो पारित आदेश के अनुरूप, प्रतिवादियों ने दिनांक 01.02. 2012 को एक आदेश जारी किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को उस तिथि के स्थान पर 06.03.1998 से नियमित किया गया था जिस दिन अपीलार्थी ने नियमित वेतनमान पर से अपनी सेवाएं शुरू की थीं और कानून की उचित प्रक्रिया के बाद माननीय न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर द्वारा पारित निर्देश के अनुसार रिक्तियों को समाचार पत्र में विज्ञापित जाकर नियुक्त किया गया था। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 1703.2012 को एक संशोधित आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा वरिष्ठता सूची में सुधार किया गया था दिनांक 17.03.2012 के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी नियुक्ति दिनांक 17.02.1994 को संवर्ग में हुई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात् दिनांक 06.03.1998 को उनकी सेवाएँ नियमित कर दी गई थीं। (अनुलग्नक–7) प्रतिवादी विभाग ने 08.12.2010 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी और आपत्तियां दाखिल करने का अनुरोध किया था। अपीलार्थी का मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण वर्तमान सूची में उसका नाम शामिल नहीं हो सका, जिस पर 08.07.2011 के आदेश द्वारा निर्णय दिया गया, जिसके अनुपालन में 01.02.2012 का आदेश और 17.03.2012 का एक और आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा वर्तमान अपीलार्थी की सेवाओं को अन्य समान पदस्थ व्यक्तियों अर्थात् श्री के.के.जयमन, महेंद्र सिंह और राधा किशन की तरह प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि 17.02.1994 के स्थान पर 06.03.1998 से नियमित कर दिया गया था। (अनुलग्नक–8) जब अपीलार्थी को पता चला कि इसी प्रकार नियमित किए गए कुछ व्यक्ति, जो अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठतम पद पर थे और अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति के बाद भी वरिष्ठता सूची में नीचे रखा गया था, प्रत्यर्थी विभाग ने कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक रूप से अपनी सेवाओं के बारे में अपना दृष्टिकोण अपनाया था। अपीलार्थी ने नियमितीकरण के आदेश में

आवश्यक सुधार करने के लिए नियोक्ताओं से कई बार अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादियों ने उनके मामले पर विचार करने की मौखिक प्रतिबद्धता के अलावा कोई ध्यान नहीं दिया। दिनांक (अनुलग्नक–9) इसके बाद, प्रतिवादियों ने बाद की तारीख को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें वर्तमान अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए, उन्हें क्रम संख्या 14 पर रखा गया था, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ सेवा में शामिल हुए अन्य व्यक्तियों को 18.03.2013 की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से ऊपर रखा गया था। वर्तमान वरिष्ठता सूची में डिग्रीधारक और डिप्लोमाधारक (सिविल) जूनियर इंजीनियर दोनों शामिल हैं, जिन्हें सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जाना है। श्री महेंद्र सिंह, जो वर्तमान सूची में क्रम संख्या 12 पर हैं, प्रारंभिक रूप से 07.08.1996 को नियुक्त किए गए थे और श्री मुनीर अली, जो शुरू में नियुक्त किए गए थे, क्रम संख्या 13 पर रखे गए थे, जबकि अपीलार्थी को शुरू में 1994 में क्रम संख्या 14 पर रखा गया था। (अनुलग्नक–10) अपीलार्थी क्रमांक 13 और वे व्यक्ति जो सहायक से कनिष्ठ अपीलार्थी क्रमांक 11 और 12 थे, उन्हें रिक्ति वर्ष 2010–11 में इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन अपीलार्थी द्वारा उठाई गई शिकायत/आपत्ति का उसी समय समाधान नहीं किया गया, हालाँकि उनके मामले पर विचार करने के लिए मौखिक प्रतिबद्धता दी गई थी। श्री कमलेश कुमार जैमन जिन्हें क्रमांक 15 पर रखा गया था, उन्हें भी उसी रिक्ति वर्ष में पदोन्नत किया गया था, जबकि श्री सुबोध माथुर क्रमांक 36 और श्री महेंद्र कुमार समधानी क्रमांक 44 पर रखे गए थे, उन्हें भी रिक्ति वर्ष 2012–13 में पदोन्नत किया गया है। (अनुलग्नक–11) समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों श्री महेंद्र सिंह और श्री मुनीर अली को प्रारंभिक नियुक्ति के दिन से लाभ दिया गया, जबकि अपीलार्थी का मामला भी उनके जैसा ही है, लेकिन उन्हें नियमितीकरण की तिथि से उनकी सेवाओं की गणना करते हुए वरिष्ठता दी गई। एक समान स्थिति वाले अभ्यर्थी ने विद्वान न्यायाधिकरण में अपील संख्या 1084/2021, जिसका शीर्षक फिरंगी लाल गोस्वामी बनाम राज्य राजस्थान, चुनौती दी गई और अन्य है, दायर करके अनुरोध किया कि समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित किया जाए। उसे भी उसी दिन नियमित किया गया था जिस दिन अपीलार्थी को 06.03.1998 को नियमित किया गया था। इसी स्थिति वाले अभ्यर्थी ने अपनी अपील में आगे कहा है कि श्री कमलेश कुमार जैमन को अधिशाषी इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया था, जिन्हें दिनांक 14.08.2013 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 15 पर रखा गया था और श्री राधा किशन जाट को भी रिक्ति वर्ष 2019–20 में अधिशाषी इंजीनियर के

पद पर पदोन्नत किया गया था, जबकि वे कनिष्ठ थे। यह भी पता चला है कि श्री सुबोध माथर और श्री महेंद्र कुमार समधानी, जो उनसे कनिष्ठ थे। अपीलार्थी को भी 14.08.2013 को उनसे कनिष्ठ होने के बावजूद पदोन्नति का लाभ दिया गया था। विभाग द्वारा दिनांक 30.04.2019 को वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें श्री कमलेश कुमार जैमन, श्री सुबोध माथुर, श्री महेंद्र कुमार समधानी को वर्तमान अपीलार्थी से कनिष्ठ दर्शाया गया था, किन्तु उपरोक्त सभी को दिनांक 15.10.2019 के आदेश द्वारा के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। (अनुलग्नक–12) अपीलार्थी ने समान स्थिति वाले अभ्यर्थी के साथ मिलकर इस मुद्दे पर विचार करने तथा योग्य अभ्यर्थी को उचित तरीके से वरिष्ठता प्रदान करने तथा अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत करने के लिए कई अभ्यावेदन और अनुस्मारक प्रस्तुत किए, लेकिन अपीलार्थी की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो सकी। प्रतिवादियों ने दिनांक 22.03.2021 को एक और वरिष्ठता सूची जारी की है, जिसे अपीलार्थी ने अपील संख्या 6189/2021 दायर करके इस आधार पर चुनौती दी है कि उसे सुना जाना चाहिए और पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी विभाग ने दिनांक 18.07.2022 की एक और अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी और समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। आपत्ति पर निर्णय लिए बिना, विभाग दिनांक 17.08.2022 को सूची तैयार कर पदोन्नति हेतु बैठक बुला रहा है। (अनुलग्नक–14) समान स्थिति वाले अभ्यर्थी ने प्रत्यर्थियों द्वारा विद्वान न्यायाधिकरण की उस कार्रवाई को भी चुनौती दी थी, जिसमें विद्वान न्यायाधिकरण ने दिनांक 16.08.2022 के अंतरिम आदेश द्वारा प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया था कि वे अपीलार्थी और समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों द्वारा दायर शिकायत पर जिला दंडाधिकारी की बैठक से पहले निर्णय लें। विभाग ने बाद में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्देश के अनुसार अपीलार्थी और समान स्थिति वाले उम्मीदवारों की शिकायत पर निर्णय लिए बिना दिनांक 11.10.2022 को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की तिथि बदल दी। इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष मामले की तात्कालिकता का उल्लेख करते हुए, न्यायाधिकरण ने दिनांक 11.10.2022 को अपीलकर्ता के साथ–साथ तीन अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के मामलों की सुनवाई की, जिसमें विद्वान न्यायाधिकरण को डी.पी.सी. की बैठक बुलाने से पहले सभी चार उम्मीदवारों की शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। (अनुलग्नक–16) अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादियों को दिनांक 10.10.2022 को अपने मामले की सुनवाई के संबंध में सूचित करते हुए आवेदन अग्रेषित किया गया है और दिनांक 11.10.2022 को न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की

प्रमाणित प्रति के साथ एक आवेदन अग्रेषित किया गया है। (अनुलग्नक–17) प्रतिवादियों ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा जारी अनेक निर्देशों की अनदेखी करते हुए अपीलार्थी और अन्य अभ्यर्थियों की शिकायत पर निर्णय लिए बिना ही डी.पी. सी. समिति की बैठक बुलाई और दिनांक 11.09.2014 को पदोन्नति आदेश जारी कर दिया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 30.11.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को संबंधित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध अधिषाशी अभियंता के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि विभागीय आदेश दिनांक 31.10.2022 के द्वारा अपील संख्या 91/2022 श्री अरविन्द व्यास अपील संख्या 92/2022 श्री अजय कुमार बब्बर, अपील संख्या 6406/2021 श्री लोकेन्द्र कुमार जैन एवं अपील संख्या 6189/2021 अपीलार्थी के तहत विभागीय अधिसूचना व कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के कम में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने का निर्णय लिया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाकर निस्तारण किया जा चुका है। याचिका संख्या 6637/08 श्री करनेश माथुर व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2011 की पालना में अन्य कनिष्ठ अभियन्ताओं की भांति ही विभागीय आदेश दिनांक 06.03.1998 से अपीलार्थी को भी नियमितिकरण का लाभ दिया गया है तथा इसी अनुरूप अन्य कार्मिकों के समान ही अपीलार्थी को भी वरिष्ठता एवं पदोन्नति का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी की नियुक्ति के समय राजस्थान नगर पालिका सेवा के अन्तर्गत आता था जिसकी नियोक्ता प्राधिकारी राज्य सरकार थी। नगर पालिका को कनिष्ठ अभियंता के पद पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति दिये जाने का कोई अधिकार नही था। अतः नगर पालिका द्वारा अपीलार्थी को दी गई नियुक्ति व नियुक्ति संबंधित परिलाभ नियमानुसार नहीं थे। माननीय उच्च न्यायालय की पालना मे अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची में दिनांक 17.03.2012 के द्वारा नाम जोड़ा गया था। अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची में नियमानुसार वरिष्ठता कम पर नाम अंकित है। अपीलार्थी को योग्यता, पात्रता एवं रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर पात्र होने वाले वर्षों में पदोन्नति दी जा सकेगी। श्री गोस्वामी का कनिष्ठ अभियंता पद पर नियमितकरण उच्च न्यायालय की पालना किये जाने के कारण अधिकरण के आदेश की पालना किया जाना संभव नहीं होने से अपील कि जा चुकी है। इसके

अतिरिक्त अभियन्तागणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर योग्यता में डिग्री को जोड़ गया है। अतः उक्त अपील खारिज योग्य हैं।

हमनें उभय पक्षकारों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2022 को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक अभियंता सिविल से अधिषाशी अभियंता के पद पर डीपीसी की दिनांक 01.12.2022 की अनुशंषा के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने नियमित रूप से पदों के विज्ञापन के पश्चात चयन होने के उपरान्त दिनांक 17.02.1994 से कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यग्रहण किया और उसे दिनांक 02.08.1994 से नियमित चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। उसके बावजूद उसकी सेवाओं का नियमितीकरण दिनांक 06.03.1998 से किया गया है और इस कारण उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गई है और उसे वंचित रखा गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध आदेश दिनांक 30.11.2022 और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी सहायक अभियंता सिविल की वरिष्ठता सूची दिनांक 18.07.2022 (सन्दर्भ तिथी 01.04.2022) (अनुलग्नक–14) के अवलोकन से स्पष्ट है कि पदोन्नति आदेश द्वारा जिन कार्मिकों को अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उनमें सभी डिग्रीधारी सहायक अभियंता है जबकि अपीलार्थी डिप्लोमाधारी सहायक अभियंता है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह स्पष्ट नहीं किया है कि संबंधित वर्ष में डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी अभियंताओं के सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु क्या पात्रताएं/नियम निर्धारित है और क्या अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति हेतु नियमानुसार पात्रता धारित की जा रही है, अथवा नहीं। क्योंकि वरिष्ठता सूची दिनांक 18.07.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें क्रम संख्या 2 से 49 तक डिप्लोमाधारी सहायंक अभियंता के नाम है एवं क्रम संख्या 50 से डिग्रीधारी अभियताओं के नाम शामिल किए गए है और किसी भी डिप्लोमाधारी अभियंता की आलौच्य पदोन्नति आदेश से पदोन्नति नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी सहित सहायक अभियंता डिप्लोमाधारी निर्धारित वर्ष में अधिषाशी अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित पात्रता/अनुभव धारित नहीं करने के आधार पर उसे पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी की सेवाओं को नियमितीकरण किए जाने का विषय या उसकी वरिष्ठता के संबंध में कोई विषय अधिकरण के समक्ष चुनौती ग्रस्त नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की वरिष्ठता और

सेवाओं के नियमितीकरण के बारे में किसी प्रकार का विवेचन किया जाना सभंव नहीं है। अपीलार्थी द्वारा डीपीसी कार्यवाही का विवरण भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। आलौच्य पदोन्नति आदेश में अपीलार्थी के समकक्ष किसी डिप्लोमाधारी सहायक अभियंता की अधिशाषी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है। ऐसी अवस्था में हमारा यह मत है कि हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य पदोन्नति आदेश में कोई नियम विरूद्धता नहीं पाते है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)